

रसिपॉन्सिल एआई फॉर ऑल

प्रलिमिस के लिये:

नीतिआयोग, कृत्रमि बुद्धिमित्ता, फेशिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी, नजिता का अधिकार, पुट्टास्वामी नरिण्य, परसनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डजी यात्रा प्रोग्राम

मेन्स के लिये:

फेशिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी - पक्ष और विपक्ष, कृत्रमि बुद्धिमित्ता, कृत्रमि बुद्धिमित्ता और नैतिकता के सामाजिक-आरथकि नहितिरथ

वर्ष 2018 में [नीतिआयोग](#) ने कृत्रमि बुद्धिमित्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy on Artificial Intelligence- NSAI) जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाँच सार्वजनिक क्षेत्रों में [कृत्रमि बुद्धिमित्ता](#) (Artificial Intelligence) को अपनाने के रोडमैप पर प्रकाश डाला गया, यह सुरक्षति है और सभी नागरिकों के लिये लाभकारी है। रणनीति दिस्तावेज़ ने "AI फॉर All" मंत्र को भविष्य में AI डिज़िटल, विकास एवं भारत में तैनाती हेतु शासी बैचमार्क के रूप में गढ़ा। इस रणनीतिका एक हसिसा AI के सुरक्षति और ज़मिमेदार उपयोग को सुनिश्चित करना था।

ज़मिमेदार कृत्रमि बुद्धिमित्ता (RAI) सिद्धांतों का उपयोग AI के संभावति जोखिमों को कम करने हेतु विकासशील शासन और नियमिक ढाँचे की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में आता है, जबकि सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिये इसके लाभों को अधिकितम करना है। [फेशिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी](#) (Facial Recognition Technology- FRT) को RAI सिद्धांतों और संचालन तंत्र की जाँच के लिये पहले उपयोग के मामले के रूप में लिया गया है।

FRT ने विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा प्रक्रयियाओं के कुशल और समय पर नष्टिपादन के अपने संभावति लाभों के बारे में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। हालाँकि यह [व्यक्तिगत गोपनीयता, समानता, स्वतंत्र अभियक्तितथा आंदोलन](#) की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मानव और [मौलिक अधिकारों](#) के लिये भी जोखिम पैदा करता है।



AI में हुए हाल के विकास:

- **AI का विकास:** प्रौद्योगिकी केंद्रति समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक के डिज़िटाइज़ेशन और विकास में उछाल सर्वव्यापी होता जा रहा है।
 - जबकि AI की उत्पत्ति 20वीं सदी के दूसरे भाग में देखी जा सकती है, पछिले दशक में तीव्र पुनरुत्थान देखा गया है।
 - यह मुख्य रूप से बगि डेटा एनालिटिक्स डेटा संग्रह, एकत्रीकरण और प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तंत्रिका नेटवर्क, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण आदि के लिये ज़िम्मेदार है।
- **AI और नैतिकता:** इस तकनीकी क्रांति का दूसरा पक्ष AI के सामाजिक-राजनीतिक और आरथिक प्रभावों पर बढ़ती आशंका है, विशेष रूप से इन उभरती प्रौद्योगिकियों के सह-अस्तित्व और आधुनिक लोकतंत्र के मूल सदिधांतों के बारे में चिंताएँ।
 - नतीजतन AI नैतिकता और AI का सुरक्षणि और ज़िम्मेदार अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी क्रांति के मुख पृष्ठ और केंद्र बन रहे हैं।
 - भारत में AI नैतिकता के सदिधांतों के लिये संवैधानिक नैतिकता की आधारशिला के रूप में कल्पना की गई थी, इस प्रकार AI को एक ज़िम्मेदार तरीके से तैनात करने के लिये हमारे संवैधानिक अधिकारों और लोकाचार को सर्वोपरमाना गया।

फेशियल रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी (FRT):

- यह विभिन्न प्रकार की तकनीकों का जटिक्र करने वाला एक सामूहिक शब्द है जो दृश्य छवियों (चित्रों/वीडियो) का उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान करने या उनका पता लगाने के लिये डिज़िटाइज़ेशन किया गया है।
 - FRT एक वर्चुअल फेशियल मैप को मॉर्फ करने के लिये चेहरे की प्रमुख विशेषताओं और एक-दूसरे से उनकी संबंधित दूरी का उपयोग करता है।

- यह पारस्थितिकी तंत्र चेहरे के डेटा की उपलब्धता पर निर्भर है क्योंकि FRT कार्यक्रम उनके रोलआउट से पहले बड़ी मात्रा में प्रशक्षिण डेटासेट के माध्यम से गहन प्रशक्षिण और मशीन लर्निंग की प्रक्रया में लगे हुए हैं।
 - इसमें वे लाभ हैं जो स्वचालन और प्रक्रयाओं में अधिक दक्षता के साथ मैन्युअल प्रयासों में तेजी लेट हैं।
 - FRT के उपयोग ने इसके नैतिक, कानूनी और संवेदनशील प्रभावों के आसपास विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बहस देखी है।
- प्रकार:
- **1:1 FRT सत्यापन:** फेशिल रकिंग्नशिन को प्रमाणित करने के लिये डेटाबेस पर व्यक्तिकी तस्वीर के साथ मिलान करने के उद्देश्य से प्राप्त कथा जाता है। उदाहरण के लिये फोन को अनलॉक करने हेतु 1:1 सत्यापन का उपयोग कथा जाता है।
 - यह दो विशिष्ट चेहरों के बीच सत्यापन के माध्यम से पहचान का अभ्यास करता है और चेहरे की छवियों की गुणवत्ता पर अधिक नियंत्रण रखता है।
 - **1: FRT सत्यापन:** फेशिल रकिंग्नशिन एक तस्वीर या वीडियो से प्राप्त कथा जाता है और फरि तस्वीर या वीडियो में व्यक्तिकी पहचान करने के लिये पूरे डेटाबेस के साथ मिलान कथा जाता है।
 - यह ज्यादातर लाइव फेशिल रकिंग्नशिन टेक्नोलॉजी (Live Facial Recognition Technology- LFRT) में कानून प्रवरतन और अन्य जन निरानी जैसे उद्देश्यों के लिये लागू होता है।

■ FRT के उपयोग:

- **सुरक्षा उपयोग:** अमतौर पर सामान्य कानून और व्यवस्था की जाँच, गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान, भीड़ की निरानी आदि के लिये FRT का उपयोग कथा जाता है।
- **गैर-सुरक्षा उपयोग:** इसमें FRT का 1:1 उपयोग शामल होने की अधिक संभावना है- हवाईअड्डा सुविधाओं तक पहुँच में अधिक आसानी प्रदान करने के लिये FRT का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग, युनिक ID बनाने के लिये FRT का उपयोग करने वाली शैक्षकि प्रणालियाँ, उत्पादों, सेवाओं और सार्वजनिक लाभों तक पहुँच प्रदान करने के लिये प्रमाणीकरण और श्रमकिं की बायोमेट्रिक उपस्थितिदिर्ज करना।

FRT से जुड़े जोखिम:

- **डिजिटल आधारति जोखिम:**
- तकनीकी कारकों (उम्र बढ़ने, प्लास्टिक सर्जरी, वरिपण, मुद्रा भनिनता, छविकी गुणवत्ता) के कारण कमी।
 - कम प्रतिनिधित्व (त्वचा-रंग या लागि आधारति असमानता) की वजह से पूर्वाग्रह के कारण कमी।
 - मानव संचालकों के प्रशक्षिण की कमी।
 - गड़बड़ियों के कारण अशुद्धि।
 - डेटा उल्लंघनों और अनधिकृत पहुँच के कारण सुरक्षा जोखिम।
 - जवाबदेही और कानूनी दायतित्व के मुद्दे (FRT के विकास, परीक्षण, प्रशक्षिण और तैनाती में विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी के कारण)।
- **अधिकार-आधारति चुनौतियाँ:**
- गोपनीयता संबंधी जोखिम (हो सकता है कि व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक फेशिल डेटा को संसाधति कथा जाने की सीमा के बारे में जागरूक/संचालन में न हो)।
 - सूचनातमक स्वायत्तता के मुद्दे (बायोमेट्रिक चेहरे की छवियाँ एक उद्देश्य के लिये एकत्र की जाती हैं और बाद में दूसरे उद्देश्य के लिये उपयोग की जाती हैं जिससे संबंधित व्यक्ति अनजान रहता है)।
 - गुमनामी का खतरा - गोपनीयता का एक पहलू (दुनिया भर में असंतोष और विरोध को दबाने के लिये FRT सिस्टम का इस्तेमाल कथा जा रहा है)।

FRT के विविध विधियाँ:

- **यूरोपीय संघ (EU):** सामान्य डेटा संरक्षण विविध (General Data Protection Regulation- GDPR) और डेटा संरक्षण नियम के अलावा यूरोपीय संघ ने अब एक जोखिम-आधारति अनुपालन ढाँचा स्थापित करने के लिये AI अधिनियम का प्रस्ताव दिया है जहाँ FRT सिस्टम को अनुपालन आवश्यकताओं के उच्चतम स्तर के साथ "उच्च जोखिम" के रूप में वर्णीकृत कथा गया है।
- **UK, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया:** FRT का विविध मुख्य रूप से उनके डेटा संरक्षण/गोपनीयता कानूनों के अंतर्गत आता है।

भारत का डिजी यात्रा कार्यक्रम:

- **परिचय:**
- **डिजी यात्रा** (Digi Yatra) भारतीय हवाई अड्डों पर उपयोग हेतु एक प्रस्तावित बायोमेट्रिक बोर्डगि प्रणाली है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिये एक सहज, कागज रहति एवं संपरक रहति चेक-इन और बोर्डगि करना है।
- **डिजी यात्रा का उद्देश्य:**
- यह भारतीय हवाई अड्डों के लिये एक पहचान प्रबंधन पारस्थितिकी तंत्र की प्रक्रिया करता है जो भारतीय नागरिक उड़ान बुनियादी ढाँचे की कषमताओं को बढ़ा सकता है, हवाई अड्डों पर मैन्युअल प्रक्रयाओं को डिजिटाइजेज कर सकता है, सुरक्षा मानकों में सुधार कर सकता है और हवाई अड्डों के संचालन की लागत को कम कर सकता है।
- **तकनीकी:**
- यह एक यात्री के यात्रा क्रेडेंशियल्स को प्रमाणित करने के लिये FRT के उपयोग का प्रस्ताव करता है जो हवाई अड्डे पर अन्य चौकियों को न्यूनतम मानव भागीदारी के साथ स्वचालित रूप में संचालित करने की अनुमति देता है।
- **कानूनी और संस्थागत समर्थन:**
- वर्ष 2018 में एक डिजी यात्रा नीतिजारी की गई थी, जो डिजी यात्रा की यात्री प्रक्रयाओं और तकनीकी विशेषताओं को नियंत्रित करती

है।

- डिजी यात्रा फाउंडेशन (Digi Yatra Foundation- DYF), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जस्ते वर्ष 2019 में डिजी यात्रा सेंटरल इकोसिस्टम के कार्यान्वयन के लिये स्थापित किया गया था।

■ शासनादेश:

- डिजी यात्रा कार्यक्रम की अवधारणा विशुद्ध रूप से स्वैच्छकि तंत्र के रूप में की गई है, इसलिये विभिन्न चरणों में यह वैकल्पिक साधन निर्धारित करता है जिसमें उन यात्रियों के लिये बोर्डगे प्रक्रिया संचालित होगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का चयन नहीं किया है।

■ लाभ:

- हवाई अडडों पर कम भीड़।
- सहज, कागज रहति और संप्रकरण रहति यात्री अनुभव।
- कम परचालन लागत और बढ़ी हुई नागरिक उद्देश्य क्षमता।

■ चतिः के क्षेत्र:

- डाटा प्राइवेसी
- आधार आधारति प्रमाणीकरण
- सूचना सुरक्षा
- इन चतिओं को दूर करने के लिये डिजी यात्रा कार्यक्रम को ज़मिमेदार कृत्रम बुद्धमित्ता (RAI) सदिधांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहयि।

ज़मिमेदार कृत्रम बुद्धमित्ता के सदिधांत:

- सुरक्षा और विश्वसनीयता: AI सिस्टम को अपने इच्छिति कार्यों के संबंध में विश्वसनीयता सुनिश्चिति करनी चाहयि और हतिधारकों की सुरक्षा सुनिश्चिति करने के लिये अंतर्नहिति सुरक्षा उपाय होने चाहयि।
- समानता: AI सिस्टम को यह ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहयि कि समान परस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
- समावेशता और गैर-भेदभाव: AI सिस्टम को सभी हतिधारकों को शामिल करने के लिये विकासित किया जाना चाहयि और शक्षिता, रोजगार, सारबंधनकि स्थानों तक पहुँच आदि के मामले में धरम, वर्ग, जाति, लगि, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान को लेकर हतिधारकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहयि।
- गोपनीयता और सुरक्षा: AI सिस्टम को यह सुनिश्चिति करना चाहयि कि प्रक्रिया हेतु प्रयापत सुरक्षा उपायों के ढाँचे के भीतर डेटा विषयों का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित और संरक्षित होना चाहयि, जैसे कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को निरिदेशित एवं आवश्यक उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच प्रदान करनी चाहयि।
- पारदर्शता का सदिधांत: AI सिस्टम का डिज़ाइन और प्रशाकिण इसके कामकाज के लिये महत्वपूर्ण है। सिस्टम को ऑडिट किया जाना चाहयि और यह सुनिश्चिति करने के लिये बाहरी जाँच में सक्षम होना चाहयि कि AI सिस्टम की तैनाती नष्टपक्ष, जवाबदेह एवं पूर्वाग्रह या त्रुटियों से मुक्त हो।
- उत्तरदायित्व का सदिधांत: चूँकि AI सिस्टम के विकास, तैनाती और संचालन की प्रक्रिया में कई करता है, AI सिस्टम द्वारा कसी भी प्रभाव, हानिया क्षति के लिये उत्तरदायित्व संरचना को सारबंधनकि रूप से सुलभ एवं समझने योग्य तरीके से संपृष्ठ रूप से निर्धारित किया जाना चाहयि।
- सकारात्मक मानवीय मूल्यों का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण: यह सदिधांत भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत AI सिस्टम के उपयोग की रूपरेखा तैयार करने के लिये व्यक्तिगत डेटा संग्रह के माध्यम से AI सिस्टम के संभावित हानिकारक प्रभावों पर केंद्रित है।



ज़मिमेदार AI सदिधांतों को लागू करना:

सदिधांत	पैमाने
सुरक्षा एवं विश्वसनीयता और जवाबदेही का सदिधांत	<ul style="list-style-type: none"> एक ज़मिमेदार/जवाबदेह एजेंसी। मानकीकृत, व्याख्यायाति, उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ बनाना। समय-समय पर FRT का मूल्यांकन करना। पूरे सिस्टम के प्रदर्शन की नगरानी के लिये प्रावधान।
समानता का सदिधांत	<ul style="list-style-type: none"> व्यापक डेटा संरक्षण कानून व्यक्ति के साथ-साथ पति/पत्नी/अभिभावक की स्पष्ट सहमतिकी आवश्यकता को स्पष्ट करता है।
समावेशता और गैर-भेदभाव का सदिधांत	<ul style="list-style-type: none"> FRT मॉडल में पूर्वाग्रह से बचने के लिये मानक विकासित किया जाने चाहयि। FRT के विकल्प उपलब्ध होने चाहयि ताकि <u>डिजिटल डिवाइड</u> से अन्य लोग भी उससे बाहर न रहें।
गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शता का सदिधांत	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने के लिये आंतरिक SOP। सुरक्षा-आधारति अपवादों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहयि और SOPs के भीतर निर्धारित किया जाना चाहयि।

FRT के उत्तरदायतितव्यपूर्ण उपयोग के लिये रपिओर्ट की सफिारशि:

- कानूनी सुधार:**
 - देश में जल्द से जल्द एक संहिताबद्ध डेटा संरक्षण व्यवस्था का होना अनविरय है।
 - डेटा संरक्षण व्यवस्था को नजी संस्थाओं द्वारा डेटा प्रोसेसिंग को विनियमित करने तक सीमित नहीं होना चाहयि।
 - पुटास्वामी फैसले में SC द्वारा निर्धारित वैधता, तरक्संगतता और आनुपातिकता के तीन-आयामी परीक्षण के अनुरूप होना चाहयि।
- नीतिगत सुधार:**
 - अत्यधिक अपारदर्शी FRT प्रणाली स्वतंत्र जाँच में गाधा उत्पन्न कर सकती है। FRT सिस्टम की तैनाती के लिये एक आदर्श के रूप में पारदर्शता का होना जरूरी है, जो ऐसी प्रणालियों के विकास और परनियोजन में जनता का विश्वास हासिल करने के लिये आवश्यक है।
 - AI प्रणाली की तैनाती करने वाले संगठन नैतिक नहितिएँ का आकलन करने और शमन उपायों की देख-रेख के लिये एक नैतिक समिति (प्रयाप्त स्वायत्तता के साथ) का गठन कर सकते हैं।
- FRT सिस्टम के डेवलपर्स के लिये सफिारशि:**
 - डेवलपर्स को FRT सिस्टम का नियमांकन करना चाहयि जो समझाने योग्य हैं, यानी कसी विशेष केस आउटपुट के संबंध में सिस्टम की नियमांकन की लिये की प्रक्रिया को ऑडिटर या न्यायाधीश को स्टीक रूप से समझाया जा सकता है।
 - डेवलपर्स को AI मॉडल के प्रशिक्षण में भारतीय आबादी की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहयि और लगि, तवचा-रंग आदि के आधार पर स्टीक एवं समावेशी पहचान सुनिश्चित करनी चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्नों का उत्तर:

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? (वर्ष 2020)

- औद्योगिक इकाइयों में बजिली की खपत कम करना
- सारथक लघु कथाएँ और गीतों की रचना
- रोग नियन्त्रण
- टेक्स्ट-टू-स्पीच रूपांतरण
- विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायि:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
 (b) केवल 1, 3 और 4
 (c) केवल 2, 4 और 5
 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न 1. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है"। चरचा कीजिये।

(2020)

प्रश्न 2. निषिधात्मक शर्म के कौन-से क्षेत्र हैं जिनका रोबोट्स द्वारा धारणीय रूप से प्रबंधन किया जा सकता है? ऐसी पहलों पर चर्चा कीजिये, जो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में मौलिक और लाभप्रद नवाचार के लिये अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। (2015)

प्रश्न 3. "मनुष्य के साथ सदैव उनको, अपने-आप में 'लक्ष्य' मानकर व्यवहार करना चाहयि, कभी भी उनको केवल 'साधन' नहीं मानना चाहयि।" आधुनिक तकनीकी-आर्थिक समाज में इस कथन के नहितिरथों का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्त्व स्पष्ट कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/responsible-ai-for-all>

